कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस/ 112 भोपाल, दिनांक 09.2.2000

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय: अवैध कटाई/अवैध उत्खनन पर नियंत्रण ।

वनों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन व अतिक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किये हैं जिनमें प्रत्येक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियमित बीट जांच, आरामशीन चैकिंग तथा उड़नदस्ता दलों द्वारा शिकायत/जानकारी के आधार पर छापमारना व वनक्षेत्रों/आरामशीनों/वन उद्योगों की आकस्मिक जांच करना सम्मिलित है ।

मेरा मत है कि यदि निर्देशों का निष्ठा से पालन किया जाय तो निश्चित ही वन अपराधों पर अंकुश लगेगा ।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध कटाई की शिकायतों व जांच से पाया जाता है कि वनक्षेत्रों में वन अपराधी सक्रिय हैं और वनक्षेत्रों में अवैध कटाई/उत्खनन हो रहा है ।

उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिका 202/95 में दायर अंतरिम आवेदनों में याचिकाकर्ता श्री संतोष भारती द्वारा पूरे विवरण के साथ ऐसे प्रकरणों का हवाला दिया है और मा0 न्यायालय ने कुछ की जांच कराई है और जांच के परिपेक्ष्य में कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई भी की गई है । आगे कुछ और प्रकरणों के उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने की पूरी संभावना है ।

कल इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्रीजी ने समीक्षा के दौरान वनों की अवैध कटाई पर गहन चिंता व नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा अवैध कटाई/उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिये है

कृपया वन सुरक्षा के संबंध में विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पुन: गहराई से अध्ययन करें और उनका निष्ठापूर्वक पालन करें व अधीनस्थों से करायें । जो अधिकारी/कर्मचारी वन सुरक्षा में दोषी पाये जायं उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाही की जाय ।

मेरे मत से यदि अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय पर निवास करने लगें, वनों का गहन भ्रमण करने लगें और मुखबिरों का जाल बना कर उनकी सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करें तो अवैध कटाई/उत्खनन पर प्रभवी अंकुश स्वमेव लग जायगा।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों के परिपेक्ष्य में अवैध कटाई के मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुध्द भविष्य में कठोर कार्रवाई की जायगी ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

प्र0/निस/113 भोपाल, दिनांक 09-2-2000

प्रतिलिपि-

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल